भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 711

जिसका उत्तर शुक्रवार, 8 फरवरी, 2019 को दिया जाना है

**ओडिशा के पश्चिमी भाग में उड़ीसा उच्च न्यायालय पीठ**

**711. श्री प्रसन्न आचार्य :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओडिशा राज्य सरकार ने ओडिशा के पश्चिमी भाग में उड़ीसा उच्च न्यायालय पीठ की स्थापना हेतु प्रस्ताव करते हुए केन्द्र सरकार को कई बार लिखा है, जिसमें उसने उच्च न्यायालय पीठ के लिए आवश्यक समस्त अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को उपलब्ध करवाने का वचन दिया है ; और

(ख) क्या उच्च न्यायालय पीठ की स्थापना हेतु उड़ीसा उच्च न्यायालय की सहमति अनिवार्य है, यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्वीकृति मांगी है और तत्संबंधी प्रतिक्रिया क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) और (ख) :** उच्च न्यायालय की न्यायपीठें, जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और वर्ष 2000 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 379 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय के अनुसरण में संबद्ध राज्य के राज्यपाल की सहमति के साथ राज्य सरकार तथा संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से संपूर्ण प्रस्ताव के सम्यक विचार करने के पश्चात, स्थापित की जाती हैं । राज्य सरकार को उच्च न्यायालय की प्रधान सीट से अलग एक पीठ स्थापित करने के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उपबंध करने और उच्च न्यायालय तथा इसकी पीठ का सम्पूर्ण व्यय सहन करने का उपबंध किया है । उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति से उच्च न्यायालय और इसके पीठ के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन की देख-रेख और समय-समय पर प्रधान सीट से पीठ के लिए न्यायाधीशो को प्रतिनियुक्त करना अपेक्षित है। अतः यह आवश्यक है कि राज्य सरकार और उच्च न्यायायलय दोनों मामले पर सभी दृष्टिकोणों से विचार करें और किसी सहमति पर पहुचें।

 ओड़िशा राज्य सरकार ने ओड़िशा के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में उड़ीसा उच्च न्यायलय की न्यायपीठ की स्थापना के लिए निवेदन किया है । इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा उच्च न्यायालय से अपने विचार उपलब्ध करने के लिए निवेदन किया है जो अभीतक प्राप्त नहीं हुए है ।

 केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न अवसरों पर, अंतिम बार पत्र तारीख 12.01.2019 द्वारा, मामले में ओड़िशा राज्य सरकार को अवगत भी कराया है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*